न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 115/2020 जिला भीलवाड़ा

नन्दलाल पुत्र श्री हीरा जी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

–अपीलांट

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र श्री रूपलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी पंचानपुरा तह0 बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

–रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 10.06.2015 जो अपील संख्या 02/2012 बउनवानी नन्दलाल बनाम मदनलाल।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री रमेश चन्द सारस्वत(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः– श्री बी0एल0वैष्णव
राजकीय अभिभाषकः–अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.12.1985 को ग्राम पचानपुरा की आराजी नम्बर 340 में से 1 बीघा भूमि नन्दलाल पिता हीरा धाकड़ निवासी चांद जी की खेड़ी तहसील बिजौलियां को कृषि हेतु आवंटित की गई थी। आवंटन शर्तों की पालना न करने से वर्तमान रेस्पोडेंट मदनलाल पिता रूपलाल रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया द्वारा आवंटी के विरूद्ध भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत एक आवेदन पत्र जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत कर आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना की। उक्त प्रार्थना पत्र को प्रकरण संख्या 2/2105 के रूप में दर्ज कर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 10.06.2015 को तहसीलदार बिजौलियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा स्वीकार करते हुए काश्त न करने के आधार पर आवंटन की शर्तों का उल्लघंन मानते हुए आवंटन को रद्द करते हुए भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय दिनांक 10.06.2015 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 09.07.2015 को अपील प्रस्तुत की। जिसे दिनांक 10.07.2015 को प्रकरण संख्या संख्या 99/2015 के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के अनुसरण में न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार होने से सुनवाई हेतु पत्रावली को न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 26.02.2020 को 115/2020 नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया । अपील के आधार निम्न बताये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

1. आवंटन नियमानुसार अपीलांट के पक्ष में किया गया था।

2. आवंटन शर्तों की पालना की गई थी।

3. रेस्पोडेंट का कब्जा किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया।

4. मौका पर्चा दिनांक 25.03.2015 से अपीलांट का कब्जा सिद्ध होता है। अंत में निवेदन किया कि आवंटन यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जायें।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट व वकील रेस्पोडेंट उपस्थित रहे। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि मदनलाल द्वारा नियम 14(4) में हमारे आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपील प्रस्तुत की थी। भूमि ग्राम पचानपुरा में है। आवंटन दिनांक 23.12.1985 का है। खसरा नम्बर 340 था। रकबा 1 बीघा था। आवंटन के बाद सन् 1986 में कब्जा सौंपा गया। पट्टा अभिलेख जारी किया गया। मदनलाल द्वारा अन्य गांव का निवासी चांद जी की खेड़ी का होना बताया। अपीलांट के अनुसार उसके पिता रूपा का कब्जा था। वे पचानपुरा के निवासी थे। रेस्पोडेंट को कोई लोकसस्टेण्डडाई नहीं था। 30 वर्ष बाद शिकायत की है। हम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार है। भूमि गैर खातेदारी में थी। अपीलांट द्वारा आरबीजे 2014 पेज 613, आरबीजे 2011 राजस्थान हाईकोर्ट पेज 824, डब्ल्यूएलसी 2016 राज–2 पेज 170, आरबीजे 2010 पेज 608 एवं 157 बहस में वकील रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया कि आवंटी को सन् 1985 में आवंटन किया गया था। उसके द्वारा काश्त नहीं की गई। जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। नियमों की पालना नहीं किये जाने से सही रूप से आवंटन खारिज किया गया था।

सर्वप्रथम अपीलांट की अपील को मियाद अवधि के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 का है और अपीलांट द्वारा अपील न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में दिनांक 09.07.2015 को प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की पालना में प्रार्थी का कब्जा हटाया जा सकता है। जिसकी वजह से उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2015 को स्थगित रखा जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर ने अपने आदेश में आवंटित भूमि को काश्त न करने की वजह से सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलांट खारिज किया जाता है। अपीलांट को जारी कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.02.1986 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश के क्रम संख्या 7 पर आवंटन की शर्त नम्बर 3 का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार आवंटिती को आवंटन के एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत में तथा दूसरे वर्ष अनिवार्य भूमि काश्त करनी होगी। उक्त आदेश के पहले आवंटी नन्दलाल द्वारा दिनांक 12.01.1986 को तहसीलदार को संम्बोधित इकरारनामा में सात शर्तें है– प्रथम शर्त निम्नानुसार है– अलॉटशुदा जमीन मजकूर का 50 प्रतिशत प्रथम वर्ष में आबाद कर लूंगा। बकाया रकबा बीघा द्वितीय वर्ष में आबाद कर लूंगा। सात शर्तों के बाद नीचे इकरार कुनिन्दा नन्दलाल द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। नन्दलाल आवंटन आदेश की शर्त एवं इकरारनामें की शर्त से पाबंद है। तहसीलदार से रेस्पोडेंट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सन् 1985 से खसरा गिरदावरी की नकले मांगी गयी थी। जो उनके द्वारा दिनांक 02.03.2015 को रेस्पोडेंट को उपलब्ध करवायी गयी थी। खसरा गिरदावरी संवत 2044–47 का अवलोकन किया गया। संवत 2044–45 में अपीलांट द्वारा कोई काश्त करना नहीं पाया जाता है। अपीलांट को भूमि आवंटन सन् 1985 में किया गया था तथा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 28.02.1986 को जारी किया गया था। अपीलांट द्वारा आवंटन के बाद काश्त करने बाबत कोई दस्तावेज यथा खसरा गिरदावरी अपनी ओर से प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त दस्तावेज के अभाव में अपीलांट अपने कब्जेकाश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested

बाबत तथ्य सिद्ध नहीं करवा सकता है। समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की शर्त संख्या 7(3) व इकरारनामें की प्रथम शर्त का पालन नहीं किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। मगर उसके द्वारा भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया गया। आवंटन निरस्तीकरण दिनांक को भूमि गैर खातेदारी में ही दर्ज थी। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की गई है। ऐसी अवस्था में जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा आवंटन निरस्ती बाबत सही निर्णय किया गया है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 2/2015 उनवानी मदनलाल एवं अन्य बनाम नन्दलाल अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र पर निर्णय दिनांक 10.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:01 IST
Reason: SelfAttested